

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

झारखण्ड की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य, जिसका गठन नवम्बर 2000 में बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात् किया गया था, 79714 वर्ग कि.मी. में फैला है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 के 2.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 3.30 करोड़ हो गई जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग-ए** में दर्शाया गया है। अंतिम दस वर्षों (वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14) के दौरान राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 13.69 प्रतिशत थी। सम्पूर्ण-भारत औसत के 21.92 प्रतिशत की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 40.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2013-14 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 1,72,773 करोड़ थी। राज्य की साक्षरता दर 44 प्रतिशत (वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 67.63 प्रतिशत (वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2013-14 के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 46,524 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, निर्धारित समय में राज्य के भीतर सरकारी तौर पर स्वीकृत उत्पादित समस्त सामग्रियों तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.2	18.7	15.8	11.9	11.5
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,00,621	1,27,281	1,35,618	1,51,655	1,72,773
स.रा.घ.उ का वृद्धि दर(प्रतिशत)	14.6	26.5	6.6	11.8	13.9

स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के वेब साइट से।

झारखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के 14.5 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान 13.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि दर से अधिक थी। तथापि, वर्ष 2009-14 के दौरान, झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) (14.5 प्रतिशत) सम्पूर्ण भारत के स.घ.उ. के सी.ए.जी.आर. (14.4 प्रतिशत) के लगभग बराबर था।

1.1 परिचय

यह अध्याय वर्ष 2013-14 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण राज्य वित्त लेखे 2013-14 की लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा को **परिशिष्ट 1.1 भाग-बी** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को **परिशिष्ट 1.1 भाग-सी** में दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति को **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों के राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दिये गये हैं।

1.1.1 वर्ष 2013-14 के राजकोषीय संचालन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष (2012-13) के साथ-साथ चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन देन का सार प्रस्तुत करता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 भाग-ए** वर्ष 2013-14 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: वर्ष 2013-14 के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
खण्ड क: राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	24769.56	26136.80	राजस्व व्यय	23399.87	17184.41	6287.48	23471.89
कर राजस्व	8223.58	9379.79	सामान्य सेवायें	8696.49	9691.69	267.67	9959.36
गैर कर राजस्व	3535.63	3752.71	सामाजिक सेवायें	8308.59	4299.54	3915.80	8215.34
संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	8188.14	8939.32	आर्थिक सेवायें	6394.79	3193.18	2104.01	5297.19
भारत सरकार से अनुदान	4822.21	4064.98	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड क: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत परिव्यय	4218.43	15.81	4706.69	4722.50
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	43.11	23.32	संवितरित की गई ऋण एवं अग्रिम	600.81	29.92	191.99	221.91
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	100.00	50.00	0.00	50.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	5199.00	4702.90	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2183.06	1996.92	0.00	1996.92
आकस्मिक निधि में स्थानांतरण	0.00	0.00	आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	14494.71	14275.26	लोक लेखा संवितरण #	13416.31	14094.33	0.00	14094.33
आरंभिक रोकड़ शेष	116.85	704.75	रोकड़ अंत शेष	704.75	1285.48	0.00	1285.48
कुल	44623.23	45843.03	कुल	44623.23	34656.87	11186.16	45843.03

स्रोत: वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

#आँकड़े अन्य खाते जैसे कि विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन को शामिल नहीं करते हैं

पिछले वर्ष के तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिये गये हैं:

- पिछले वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 1,367 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व में ₹ 1,156 करोड़ (14 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व में ₹ 217 करोड़ (छ: प्रतिशत) तथा संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश

में ₹ 751 करोड़ (नौ प्रतिशत) की बढ़ोतरी के कारण हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 757 करोड़ (16 प्रतिशत) से समायोजित हुआ।

- ते.वि.आ. द्वारा नियत किए गए स्वयं के कर-राजस्व (₹ 11,137.16 करोड़) एवं कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,068.30 करोड़) के आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध राज्य का वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 9,379.79 करोड़ (84 प्रतिशत) एवं ₹ 3,752.71 करोड़ (92 प्रतिशत) था। इस प्रकार, स्वयं के कर-राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा नियत मानक अनुमान से कम था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय (आर.ई.) वर्ष 2012-13 के राजस्व व्यय के लगभग समान रहा। तथापि, यह बजट आकलन के ₹ 30,435 करोड़ से 23 प्रतिशत कम था। वर्ष 2013-14 के दौरान सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 1,263 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जबकि सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 94 करोड़ एवं ₹ 1,098 करोड़ की कमी हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में पूँजीगत व्यय में ₹ 505 करोड़ (12 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। वृद्धि मुख्यतः परिवहन विभाग (₹ 492 करोड़) एवं ग्रामीण विकास (₹ 262 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली वर्ष 2012-13 के ₹ 43 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 23 करोड़ हुई।
- लोक ऋण की प्राप्तियों एवं इसके पुनर्भुगतान पिछले वर्ष से घटकर क्रमशः ₹ 496 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं ₹ 186 करोड़ (नौ प्रतिशत) हो गया।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ घटकर ₹ 220 करोड़ (दो प्रतिशत) हो गयी जबकि संवितरण बढ़कर ₹ 677 करोड़ (पाँच प्रतिशत) हो गया।
- उपरोक्त लेन-देन का निवल प्रभाव पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के अंत में रोकड़ शेष में ₹ 580.73 करोड़ की वृद्धि थी।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

झारखण्ड सरकार ने राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थिरता, ऋण स्थिरता एवं वृहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ. आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व घाटे को मार्च 2009 के अंत तक समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के तीन प्रतिशत तक

सीमित करना था। ते.वि.आ. ने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अनुदानों एवं ऋण माफ करने की सुविधा को सम्बद्ध करते हुए राजकोषीय समेकन हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित रोड मैप की सिफारिश की।

तदनुसार, राज्य ने एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2011 एवं 2012 के साथ-साथ मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) में कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के संशोधित लक्ष्य के अनुसार (i) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना था, (ii) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को स.रा.घ.उ. का तीन *प्रतिशत* करना था तथा (iii) वर्ष 2013-14 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 27.3 *प्रतिशत* करना था।

तालिका 1.2 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, एम.टी.एफ.पी., ते.वि.आ. एवं राज्य के बजटीय दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमुख राजकोषीय चर से संबंधित लक्ष्य को दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: मुख्य राजकोषीय विचरण

(*प्रतिशत में*)

राजकोषीय विचरण	2013-14				
	राज्य के लिए ते. वि. आ. का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. के तहत लक्ष्य	बजट के तहत लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. के अनुमान	वास्तविक
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व हानि(-)/राजस्व आधिक्य(+)	शून्य	शून्य	+1.83	+1.80	+1.5
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	3.00	3.00	2.36	2.60	1.3
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	27.3	27.3	बजट में उपलब्ध नहीं	25.0	21.8

राज्य ने राजस्व घाटे से पृथक होकर वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे को राजस्व आधिक्य (₹ 946 करोड़) में बदलते हुए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया और वर्ष 2009-10 के ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटा को छोड़कर निरन्तर सुधार करते हुए वर्ष 2013-14 में राजस्व आधिक्य ₹ 2,665 करोड़ प्राप्त किया।

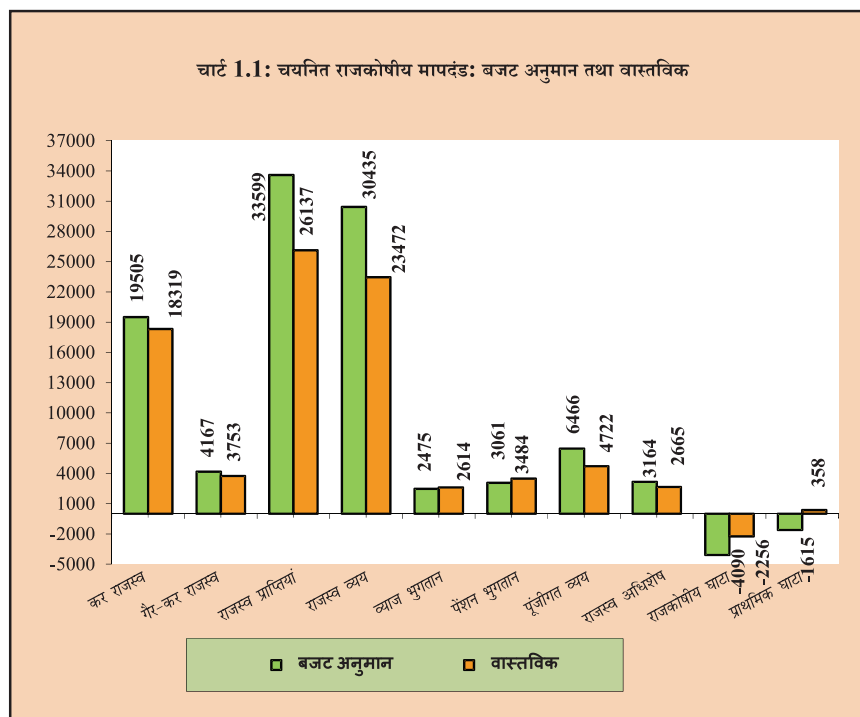
वर्ष 2013-14 के दौरान स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटे (₹ 2,256 करोड़) की प्रतिशतता 1.3 था जो ते.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुमानित सीमा तीन *प्रतिशत* के भीतर था। यह एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 2.60 *प्रतिशत* के सन्निकट था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 21.8 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के 27.3 प्रतिशत के अनुमान के काफी भीतर था। इस वर्ष ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात भी एम.टी.एफ.पी. के 25 प्रतिशत के लक्ष्य के काफी भीतर था।

1.1.3 बजट अनुमान के साथ वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या प्रयोजनों की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीति को प्रभावकारी रूप से लागू करने के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से वास्तविक तथ्यों में विचलन इच्छित राजकोषीय लक्ष्य हेतु उत्कृष्ट कार्य नहीं करने को संकेतिक करते हैं जो कई कारणों से होते हैं, जिसमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में तथा कुछ सरकार के नियंत्रण में नहीं होते।

चार्ट 1.1 वर्ष 2013-14 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड के बजट अनुमान तथा वास्तविक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक प्राप्तियाँ व व्यय, ब्याज एवं पेंशन भुगतान को छोड़कर, वर्ष 2013-14 के राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमान से कम थी। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 7,462 करोड़) का मुख्य कारण राज्य

बजट आकलनों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में अपेक्षाकृत कम राशि की प्राप्ति (₹ 5,862 करोड़) थी। वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 6,963 करोड़) में कमी का कारण सामाजिक सेवाओं (₹ 4,191 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 2,862 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में ह्रास होना था।

निर्धारित बजट से सामाजिक सेवाओं (₹ 454 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1,227 करोड़) पर कम व्यय होने के कारण राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 1,744 करोड़ कम था जो राज्य के किये ध्यान देने की बात है।

1.1.4 लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट

बजट दस्तावेज के अनुसार यह पाया गया कि जेण्डर बजट को राज्य बजट में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, राज्य के बजट भाषण तथा विनियोजन लेख में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के राज्य बजट में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए प्रावधान किया है जिसके ब्यौरे नीचे वर्णित हैं:

तालिका 1.3: बजट प्रस्ताव तथा महिलाओं के लिए व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम	बजट आकलन	व्यय	अभ्यर्पण
किशोरी शक्ति योजना	2.20	0.30	1.90
किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम	57.54	25.14	32.40
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	9.00	3.19	5.81
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	15.00	12.79	2.21
महिलाओं एवं किशोरी कन्या के दक्षता विकास की योजना	3.00	0.00	3.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

तालिका 1.3 से देखा जा सकता है कि:

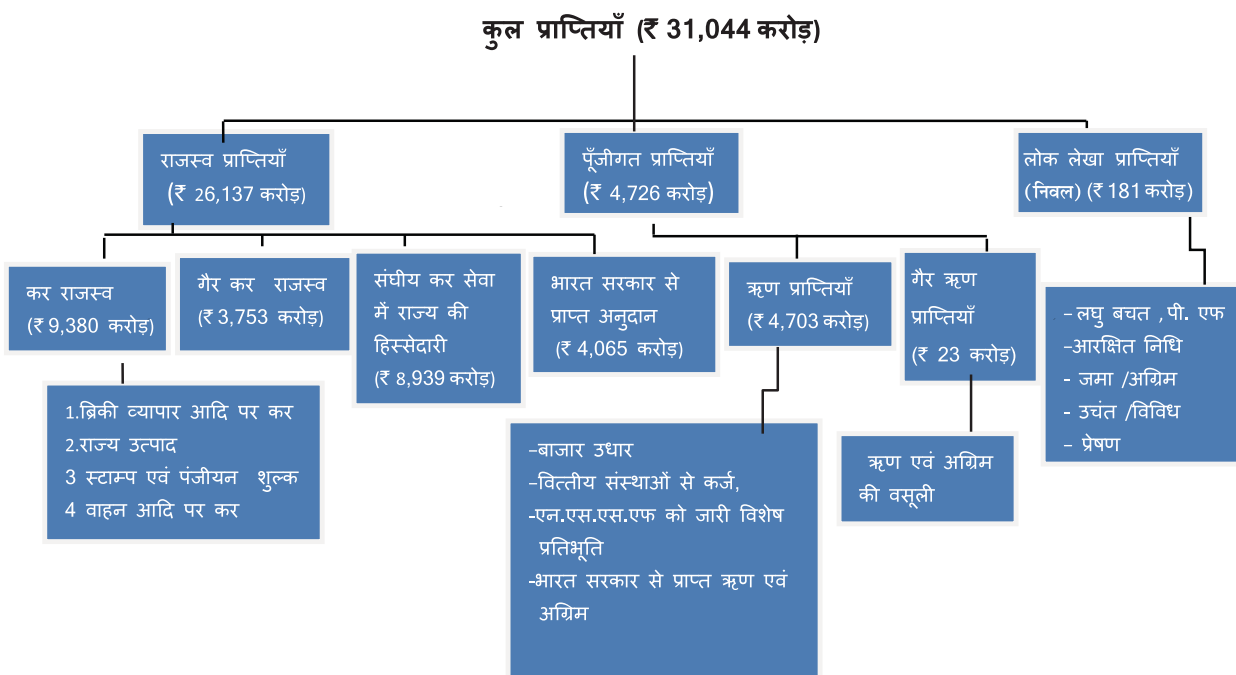
- वर्ष 2013-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना की ₹ 2.20 करोड़ में से केवल ₹ 0.30 करोड़ व्यय किया गया जिसके कारण ₹ 1.90 करोड़ (86 प्रतिशत) की बचत हुई।
- इसी प्रकार वर्ष 2013-14 के दौरान किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम के अन्तर्गत प्रावधानित ₹ 57.54 करोड़ में से केवल ₹ 25.14 करोड़ व्यय किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 32.40 करोड़ (56 प्रतिशत) की बचत हुई।

1.2 राज्य के संसाधन

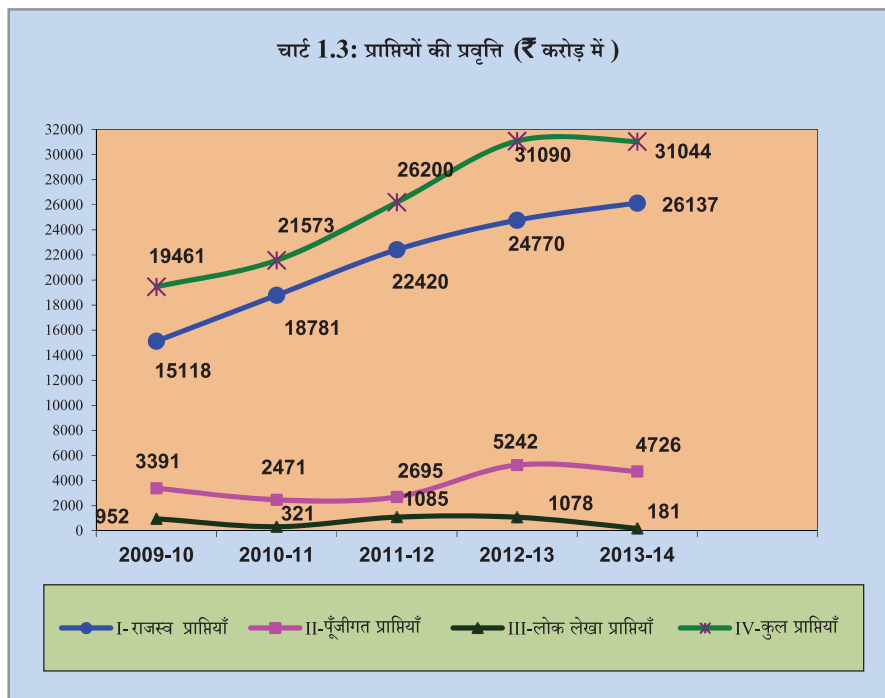
1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व और पूँजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएँ हैं जो राज्य सरकार के संसाधन हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संवितरण के पश्चात् लोक खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए भी किया जाता है। **तालिका 1.1** (पृष्ठ सं. 3) चालू वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण, जैसा कि वार्षिक वित्त लेखे में वर्णित है, को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान संसाधनों के घटक तथा उप-घटक को दर्शाने वाले फ्लो चार्ट को **चार्ट 1.2** में दिया गया है। **चार्ट 1.3** वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है।

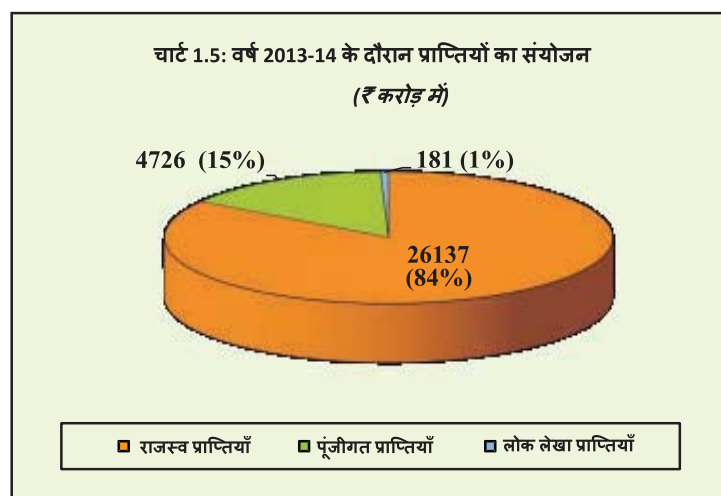
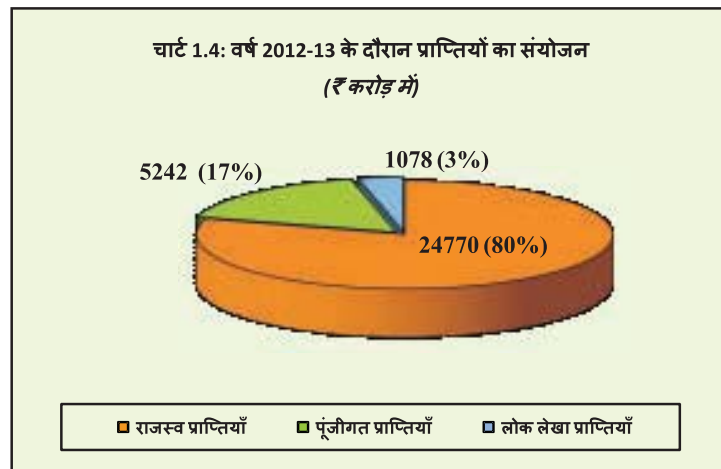
चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



चार्ट 1.3: प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.4 एवं चार्ट 1.5 क्रमशः वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करते हैं।



चार्ट 1.2 एवं चार्ट 1.5 से देखा जा सकता है कि

- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 के ₹ 19,461 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 31,044 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष के सापेक्ष कुल प्राप्तियों में वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 46 करोड़ की कमी हुई।
- वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 78 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच दोलित रही। पूँजीगत प्राप्तियों में तुलनात्मक उच्चतर वृद्धि के कारण यह वर्ष 2010-11 के 87 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 86 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 में 80 प्रतिशत हो

गई। तथापि, वर्ष 2013-14 में ऋण एवं लोक लेखा प्राप्तियों में कमी के कारण यह बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई।

- पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण में कमी के कारण वर्ष 2013-14 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 10 प्रतिशत घटी। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 8.65 प्रतिशत था।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 के ₹ 1,078 करोड़ (कुल प्राप्तियों का तीन प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 181 करोड़ (कुल प्राप्तियों का एक प्रतिशत) हो गयी।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

केन्द्र सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के वैसे विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जिसकी स्थिति दयनीय के रूप में पहचान की गई है, के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों¹ को बड़ी मात्रा में निधियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करती रही है। वर्तमान प्रक्रिया में, यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती है। इस प्रकार, इन निधियों के व्यय को राज्य के वित्त लेखे में नहीं लिया गया है। अतः वार्षिक वित्तीय लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता का संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, राज्य अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशि को तालिका 1.4 में दिखाया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,601.80 करोड़ की केन्द्रीय राशि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित किया गया। भारत सरकार द्वारा सहयोग प्राप्त योजनाएँ जिसकी राशि हस्तांतरित की गई एवं संबंधित राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

¹ राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में गैर-सरकारी संगठन सहित वैसे संगठन/संस्था शामिल हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार से प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की निधि

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि	
		2012-13	2013-14
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	809.17	621.43
इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	138.27	352.69
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम ए.ए.जे.ई.ई.वी.आई.के.ए.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	10.23	48.44
सर्व शिक्षा अभियान	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद	561.84	450.11
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य शिक्षा एवं संचार के लिए मानव संसाधन	(i) झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संस्था, टी.बी. नियंत्रण संस्था एवं अंधापन नियंत्रण संस्था (ii) झारखण्ड एड्स नियंत्रण संस्था	281.32	317.27
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना	झारखण्ड राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	307.23	243.29
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला अधिकारी	88.50	97.50
गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ	गैर सरकारी संस्थाएँ एवं अन्य संस्थाएँ	425.35	471.07
कुल		2621.91	2601.80

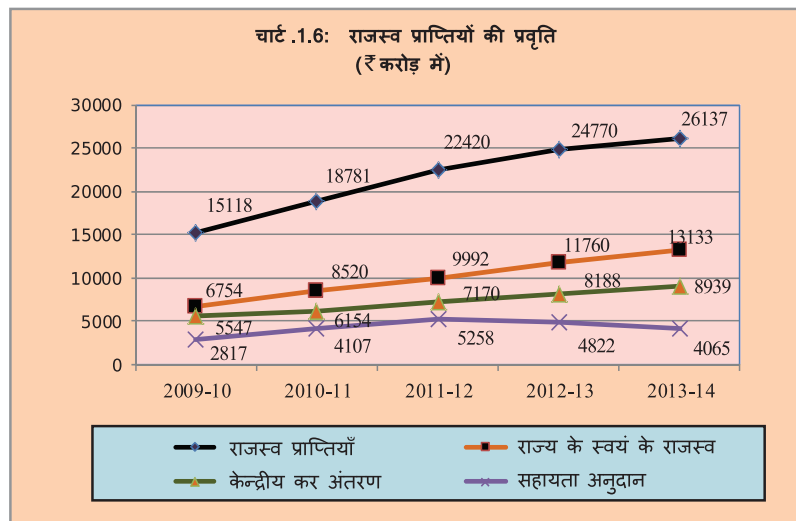
स्रोत: वित्त लेखे का परिशिष्ट VII

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से राशियों का प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण होने के कारण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के अनुचित उपयोग का जोखिम था। जब तक इन सभी अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को व्यय का ससमय प्रतिवेदन एवं उचित दस्तावेज के साथ समरूप रेखांकन पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाता है, तब तक प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित ऐसी राशियों के पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण मुश्किल होगा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों की विवेचना करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2009-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के

संघटन और प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.3** में दिखाया गया है एवं **चार्ट 1.6** में भी चित्रित किया गया है।



राज्य राजस्व प्राप्तियों की विवेचना से उजागर हुआ कि:

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 2012-13 के दौरान 10.5 प्रतिशत की वृद्धि के बदले पिछले वर्ष के सापेक्ष 5.5 प्रतिशत बढ़ी। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 7,462 करोड़ कम थी। वर्ष 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 14.67 प्रतिशत था।
- वर्ष 2009-10 के दौरान स्वयं का कर, कर-भिन्न राजस्व से दोगुना था जो वर्ष 2013-14 के दौरान बढ़कर 2.5 गुना हो गया।
- वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान से कुल राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत था जबकि शेष राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान रहा।
- वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 26,137 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) ₹ 9,380 करोड़ (36 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.) ₹ 3,753 करोड़ (14 प्रतिशत), केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) ₹ 8,939 करोड़ (34 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 4,065 (16 प्रतिशत) सम्मिलित था। पिछले वर्ष की अपेक्षा ओ.टी.आर., एन.टी.आर. तथा सी.टी.टी. के तहत प्राप्तियों में क्रमशः 14 प्रतिशत, छः प्रतिशत, तथा नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से सहायता अनुदान के तहत प्राप्त राशि पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान घटकर 16 प्रतिशत कम हो गई।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	15118	18781	22420	24770	26137
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.4	24.2	19.4	10.5	5.5
आर.आर./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	15.0	14.8	16.5	16.3	15.1
राज्य के स्वयं के कर/स.रा.घ.उ.	4.5	4.5	5.1	5.4	5.4
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	14.6	26.5	6.6	11.8	13.9
उत्प्लावकता अनुपात²					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.99	0.91	2.94	0.89	0.40
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	1.36	1.02	3.27	1.55	1.01
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.72	0.90	0.90	0.57	0.37

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में वर्ष 2009-10 के 14.4 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में 24.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान घटकर 5.5 प्रतिशत हो गई।
- स.रा.घ.उ. के परिप्रेक्ष्य में राजस्व की उत्प्लावकता में भारी उतार-चढ़ाव दिखा जो वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 0.40 तथा 2.94 के बीच था। वर्ष 2011-12 के दौरान उच्च राजस्व प्राप्तियाँ (19.4 प्रतिशत) एवं निम्न स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (6.6 प्रतिशत) के कारण यह सर्वोच्च (2.94 प्रतिशत) था। 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत थी जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 13.9 प्रतिशत थी। फलस्वरूप राजस्व उत्प्लावकता घटकर 0.40 हो गया।
- स.रा.घ.उ. एवं राज्य के स्वयं के कर के वृद्धि दर में काफी उतार चढ़ाव के कारण वर्ष 2009-14 के दौरान स.रा.घ.उ. के परिप्रेक्ष्य में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) का उत्प्लावकता में काफी भिन्नता दिखा जो 1.01 से 3.27

² आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे- राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का मतलब है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेंगी।

के बीच था। उत्प्लावकता वर्ष 2012-13 के 1.55 से घटकर वर्ष 2013-14 के दौरान 1.01 हो गया।

- वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 6.6 प्रतिशत से 26.5 प्रतिशत तक का वृहत अन्तर दर्ज किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान स.रा.घ.उ. 13.9 प्रतिशत बढ़ा। तथापि वर्ष 2009-14 में स.रा.घ.उ. का सी.ए.जी.आर. 14.47 प्रतिशत था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूँकि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, संसाधनों को बढ़ाने हेतु राज्य के निष्पादन को राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा अन्य कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं के रूप में मूल्यांकित किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ-साथ तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के मूल्यांकन को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
कर राजस्व	11137.16	10117.90	9379.79
कर भिन्न राजस्व	4068.30	4167.13	3752.71

स्रोत:- ते.वि.आ. रिपोर्ट, बजट दस्तावेज़ तथा वित्त लेख 2013-14

वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर का संग्रहण तेरहवें वित्त आयोग के मानक अनुमान के ₹ 11,137.16 करोड़ एवं बजट के ₹ 10,117.90 करोड़ के सापेक्ष ₹ 9,379.79 करोड़ था। प्राप्ति में कमी का प्रमुख कारण बिक्री कर एवं वाहनों कर के संग्रहण में बजट अनुमान से कमी था। वर्ष के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक संग्रहण बजट आकलन के ₹ 7,875 करोड़ एवं ₹ 639 करोड़ के सापेक्ष क्रमशः ₹ 7,305 करोड़ एवं ₹ 495 करोड़ था।

वर्ष 2013-14 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (6.63 प्रतिशत) महत्वपूर्ण रूप से ते.वि.आ. के अनुमान 6.63 प्रतिशत तथा एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 5.4 प्रतिशत से कम था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य का कर-भिन्न राजस्व (₹ 3,752.71 करोड़) ते.वि.आ. के अनुमान ₹ 4,068.30 करोड़ से कम था।

1.3.1.1 कर राजस्व

तालिका 1.7 में मुख्य करों तथा शुल्कों के कुल संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3597	4473	5522	6422	7305	13.74
राज्य उत्पाद	323	388	457	578	628	8.65
वाहनों पर कर	234	312	392	465	495	6.45
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	238	328	401	492	502	2.03
भूमि राजस्व	41	131	53	96	203	139.58
यात्रियों तथा सामाग्री पर कर	13	21	41	1	1	0.00
अन्य कर	54	64	88	170	219	28.82
कुल कर राजस्व	4500	5717	6954	8224	9380	14.06

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य का कर राजस्व वर्ष 2009-10 के ₹ 4,500 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 9,380 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में इसमें 14.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2009-14 के दौरान 20.16 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 में कुल स्वयं कर राजस्व में बिक्री कर का योगदान 78 प्रतिशत रहा, जिसके बाद राज्य उत्पाद कर (सात प्रतिशत) स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क (पाँच प्रतिशत) तथा वाहन कर (पाँच प्रतिशत) का योगदान रहा।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान मूल्य वर्द्धित कर/बिक्री कर से कर राजस्व में वृद्धि का श्रेय बेहतर प्रशासन के साथ-साथ ₹ 72.52 करोड़ की विशाल बकाया की वापसी को दिया गया। पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2013-14 के दौरान भूमि कर में वृद्धि के कारण इस अवधि के दौरान ₹ 129 करोड़ की बकाया जमा को बताया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान अन्य करों में वृद्धि मुख्यतः बिजली पर कर एवं इयूटी में वृद्धि के कारण हुआ। इस अवधि के दौरान बिजली पर करों एवं इयूटी में वृद्धि का श्रेय विभाग द्वारा बेहतर कर प्रशासन को दिया गया।

1.3.1.2 कर भिन्न राजस्व

ते.वि.आ. के मानक ₹ 4,068 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व ₹ 3,753 करोड़ था।

वर्ष 2009-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: कर भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज प्राप्तियाँ	153.20	98.74	44.16	72.23	69.48
लाभांश एवं लाभ*	0.00	0.40	1.17	15.00	18.00
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	2100.95	2703.75	2992.89	3448.40	3665.23
कुल	2254.15	2802.89	3038.22	3535.63	3752.71

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

*लाभांश एवं लाभ वर्ष 2009-10 के दौरान शून्य था।

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का हिस्सा दोनों वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 14 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान एन.टी.आर. में पिछले वर्ष की अपेक्षा छः प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः खनिज एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 88 करोड़ से) एवं अन्य प्राप्तियाँ (₹ 146 करोड़ से) के अन्तर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुआ। वर्ष 2009-14 के दौरान कर भिन्न राजस्व का सी.ए.जी.आर. 13.59 प्रतिशत था।

1.3.1.3 कर संग्रहण का मूल्य

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमुख करों का सकल संग्रहण एवं उनके संग्रहण पर व्यय तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर संग्रहण का मूल्य

क्रमांक	लेखा शीर्ष	2013-14 के दौरान सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	2012-13 के दौरान सकल संग्रहण के सापेक्ष व्यय प्रतिशतता	2013-14 के दौरान सकल संग्रहण के सापेक्ष व्यय प्रतिशतता	राष्ट्रीय औसत
1	बिक्री व्यापार आदि पर कर	7305.08	47.29	0.57	0.65	0.73
2	वाहनों पर कर	494.79	5.16	0.97	1.04	4.17
3	राज्य उत्पाद शुल्क	627.93	14.79	2.58	2.36	2.96
4	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	502.61	12.37	2.28	2.46	3.25

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे ।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2013-14 के दौरान राज्य उत्पाद को छोड़कर, जो 2.58 प्रतिशत से घटकर 2.36 प्रतिशत हो गया, सभी प्रमुख करों के संग्रहण पर व्यय में वृद्धि हुआ। तथापि, वर्ष के दौरान राज्य का कर संग्रहण पर व्यय³ सम्पूर्ण भारत के लिए तालिका 1.9 में वर्णित करों के सापेक्ष कम था।

³ वर्ष 2012-13 के लिए

1.3.2 भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.10 में दर्शायी गई हैं:

तालिका 1.10: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-योजना अनुदान	1145.33	1281.40	1550.77	1483.41	1319.91
राज्य योजना के लिए अनुदान	982.97	1826.99	2404.61	2393.94	1565.83
केन्द्रीय योजना के तहत अनुदान	55.05	8.62	66.87	30.81	28.28
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	633.28	990.24	1235.16	914.05	1150.96
कुल	2816.63	4107.25	5257.41	4822.21	4064.98
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	33	46	28	(-)8	(-)16
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	18.63	21.87	23.45	19.47	15.55

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार से ₹ 4,064.98 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जो वर्ष 2012-13 के ₹ 4,822.21 करोड़ से (16 प्रतिशत) कम था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार से गैर योजना अनुदान ₹ 1,483.41 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1,319.91 करोड़ हो गया, क्योंकि वर्ष 2012-13 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिक अनुदान प्राप्त हुआ था।
- त्वरित सिंचाई लाभ योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एवं आर.के.भी.वाई. के तहत राज्य योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य योजना अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य योजना अनुदान भी ₹ 2,393.94 करोड़ से व्यापक रूप से घटकर ₹ 1,565.83 करोड़ हो गया।
- ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के तहत वर्ष 2013-14 में राज्य को कोई ऋण राहत प्राप्त नहीं हुआ।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2012-13 के ₹ 8,188 करोड़ के विरुद्ध केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) वर्ष 2013-14 में ₹ 8,939 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2013-14 में राज्य के सी.टी.टी. में ₹ 751 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सेवा कर (₹ 260 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 219 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 106 करोड़) तथा सीमा शुल्क (97 करोड़) के अंतर्गत हुई। सी.टी.टी. वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 34 प्रतिशत थी।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने झारखण्ड सरकार को अपने विभिन्न विभागों के कार्यों में सुधार हेतु अनुदान की सिफारिश की। उन अनुदानों में से 2013-14 के दौरान प्राप्त कुछ अनुदानों की स्थिति तालिका 1.11 में दी गयी है:

तालिका 1.11: तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अन्तरण	ते.वि.आ. के सिफारिश से प्राप्त राशि	संबद्ध लेखा शीर्ष के तहत व्यय	अप्रयुक्त राशि
1	वन एवं पर्यावरण विभाग	48.12	30.38	17.74
2	गृह विभाग	74.50	74.50	0.00
3	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	52.75	43.55	9.20
4	कानून विभाग	21.43	7.07	14.36
5	योजना एवं विकास विभाग	4.80	0.00	4.80
6	आपदा प्रबंधन विभाग	5.00	0.00	5.00
7	ग्रामीण विकास विभाग	67.49	62.75	4.74
8	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	57.91	57.90	0.01
9	शहरी विकास विभाग	121.86	47.43	74.45
10	जल संसाधन विभाग	24.67	0.00	24.67
11	लघु सिंचाई विभाग	2.33	0.00	2.33
12	कल्याण विभाग	31.25	0.00	31.25
13	खेल, कला, संस्कृति एवं युवा मामलों का विभाग	25.00	22.00	3.00
14	ग्रामीण कार्य विभाग	84.09	17.41	66.68
15	पंचायती राज	256.33	78.94	177.39
16	प्राथमिक एवं लोक शिक्षा	216.83	0.00	216.83
17	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	54.00	48.62	5.38
	कुल	1148.36	490.55	657.81

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख 2013-14

इस प्रकार उपरोक्त **तालिका 1.11** से देखा जा सकता है कि ते.वि.आ. की सिफारिशों के तहत झारखण्ड सरकार को प्राप्त अनुदान की कुल बजटीय राशि (₹ 1,148.36 करोड़) में से वर्ष 2013-14 के अन्त तक 43 प्रतिशत (₹ 490.55 वृद्धि) खर्च की गई तथा 57 प्रतिशत (₹ 657.81 करोड़) अप्रयुक्त रही। योजना-वार ब्यौरे **परिशिष्ट 1.5** में दिये गये हैं।

1.3.5 त्यक्त राजस्व

1.3.5.1 करों की कम उगाही, उगाही नहीं एवं कम निर्धारण

वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री, व्यापार कर इत्यादि, राज्य उत्पाद कर, भू-राजस्व, वाहन कर, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क तथा खनन प्राप्तियों पर शुल्क एवं कर की 131 इकाईयों के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान, हमने ₹ 2,313.83 करोड़ से संबंधित कम उगाही, उगाही नहीं एवं कम निर्धारण के 20,230 मामले पाये। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने 16,296 मामलों में ₹ 542.57 करोड़ को स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान विभाग ने 377 मामलों में ₹ 8.47 करोड़ की वसूली को प्रभावित किया।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2014 तक चार विभागों (वाणिज्य कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद, तथा खनन एवं भू-विज्ञान विभाग) में राजस्व बकाये ₹ 3,016.16 करोड़ में से ₹ 1,368.51 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। राजस्व बकाये का मुख्य भाग वाणिज्यिक कर विभाग (₹ 1,704.67 करोड़) और खनन तथा भू-विज्ञान विभाग (₹ 1,024.74 करोड़) से संबंधित था। अन्य विभागों के बकाया राजस्व की सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी (अगस्त 2014)।

31 मार्च 2014 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के कुल राजस्व का आठ प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधन का 15 प्रतिशत था।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्रप्तियों के अलावे, राज्य पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त करता है जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम की वसूली, वित्तीय संस्थाओं से सरकार का आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2009-14 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की संरचना तथा वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर.)	3391	2471	2695	5242	4726
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22	24	24	43	23
लोक ऋण प्राप्तियाँ	3369	2447	2671	5199	4703
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	38.2	(-)27.4	9.2	94.6	-9.5
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.6	9.1	0.0	79.2	-46.51
स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर	14.6	26.5	6.6	11.8	13.9
पूँजीगत प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत)	38.1	(-)27.1	9.1	94.5	-9.8

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों में कमी के कारण वर्ष 2012-13 के ₹ 5,242 करोड़ के सापेक्ष पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 4,726 करोड़ की कमी हुई। आगे, बाजार ऋण में महत्वपूर्ण कमी के कारण लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 के ₹ 3,600 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,950 करोड़ हो गई।

वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान विनिवेश से आय 'शून्य' था।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिम की वसूली

दिए गए ऋण एवं अग्रिम की तुलना में वसूली काफी कम रही। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त वसूली एवं दिए गए ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.13: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋणों का आरंभिक शेष	6415	6713	6997	7190	7748
दिया गया ऋण	320	308	21	601	222
की गई वसूली	22	24	24	43	23
ऋणों का अंतिम शेष	6713	6997	7190	7748	7947

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने वाला मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु, उस प्राप्ति के विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान नहीं की गई जिससे जे.एस.ई.बी. के विरुद्ध बकाया की राशि ₹ 7,300.55 करोड़ हो गई। पुनर्भुगतान प्राप्ति मुख्यतः सरकारी सेवकों के ऋण एवं अग्रिमों के विरुद्ध था। वर्ष 2009-14 दौरान दिये गये ऋण तथा ऋण के अंतिम शेष का सी.ए.जी.आर. क्रमशः (-)8.74 प्रतिशत एवं 4.31 प्रतिशत था।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

संसाधनों के अंतर को भरने तथा पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए राज्य ने आंतरिक बाजार से निधि प्राप्त की। आंतरिक बाजार उधार वर्ष 2009-10 के ₹ 3,379 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 4,597 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान आंतरिक कर्ज में मुख्य योगदान बाजार ऋण (₹ 2,950 करोड़) तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त ऋण (₹ 750 करोड़) का था। वर्ष के दौरान ₹ 316 करोड़ का अर्थोपाय अग्रिम लिया गया।

1.4.3 भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2009-14 के दौरान भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में काफी उतार-चढ़ाव हुआ। यह वर्ष 2009-10 के (-) ₹ 10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 239 करोड़ हो गया। तथापि वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से ऋण घटकर ₹ 106 करोड़ हो गया। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम राज्य के योजनाओं के लिए प्राप्त किया गया। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई नया ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

विशेष प्रकार के लेन-देन यथा - लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उंचंत, प्रेषण इत्यादि जो संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं तथा जो राज्य के विधानमंडल के वोट का विषय नहीं होते हैं, के संदर्भ में प्राप्तियाँ तथा संवितरण लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ सरकार बैंकर का कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् सरकार के पास उपलब्ध शेष निधि सरकार के उपयोग के लिए होती है। तालिका 1.14 में लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के तहत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखा प्राप्तियाँ	8242	7721	10813	14495	14275
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	687	572	613	668	760
आरक्षित निधि	489	शून्य	138	280	293
जमा तथा अग्रिम	4150	3670	5236	8706	7204
उंचंत तथा विविध	204	181	306	199	-59
प्रेषण	2612	3298	4520	4642	6077

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

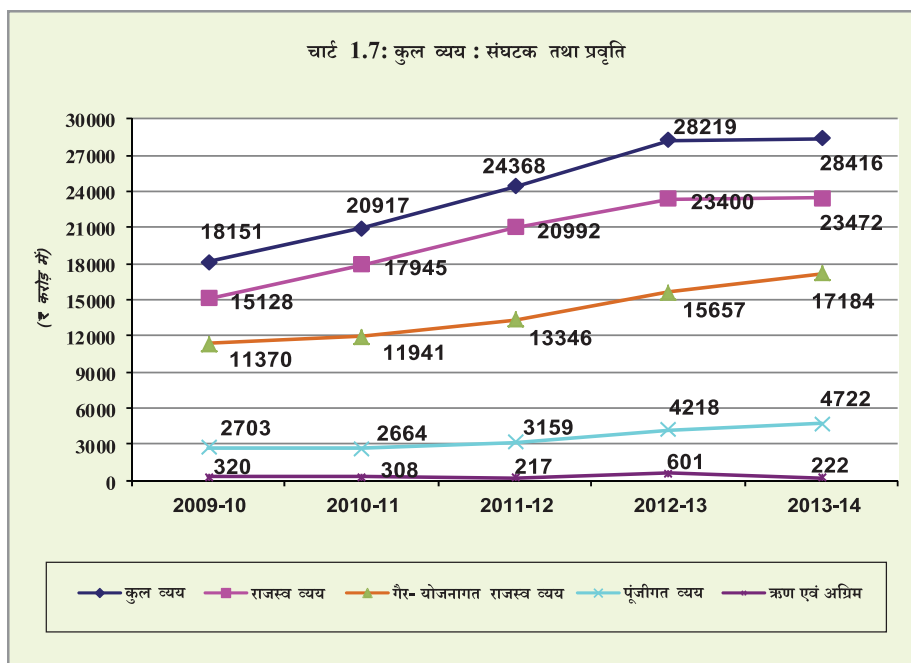
लोक लेखा प्राप्तियों में जमा तथा अग्रिम वर्ष 2009-10 के ₹ 4,150 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 8,706 करोड़ हो गया जो आगे वर्ष 2013-14 में मुख्यतः बाजार ऋण के जमा में ₹ 650 करोड़, लोक निर्माण जमा में ₹ 487 करोड़ एवं राज्य बिजली बोर्ड निर्माण निधि में ₹ 310 करोड़ की कमी के कारण ₹ 7,204 करोड़ हो गया। वर्ष 2009-14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 14.72 प्रतिशत था।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन्हें वृहत व्यय करने का कार्यभार सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत, घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के बढ़ाने में बजटीय बाध्यता होती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय शुद्धि और समेकन प्रक्रिया लागत व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिये निर्देशित व्यय पर नहीं है।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2009-14) के दौरान कुल व्यय तथा इसके संघटकों को दर्शाता है।



- विगत पाँच वर्षों से कुल व्यय का सी.ए.जी.आर. वृद्धि दर 11.86 प्रतिशत थी। वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष 2012-13 की तुलना में कुल व्यय में मामूली वृद्धि (₹ 197 करोड़) हुई थी।
- कुल व्यय में से, राजस्व व्यय 83 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय 16 प्रतिशत था। ऋण एवं अग्रिम का वितरण कुल व्यय का केवल एक प्रतिशत था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमशः 56 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय कुल व्यय का क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत था।

1.6.1.1 पूँजीगत व्यय

- वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 4,218 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,722 करोड़ हो गया। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 15 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 17 प्रतिशत हो गयी। स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 2.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में 2.7 प्रतिशत रही।
- शिक्षा क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 90.76 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 145.21 करोड़ हो गया। तथापि, शिक्षा पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 के बजटीय राशि ₹ 269.41 करोड़ से काफी कम था।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के संदर्भ में, पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 146.84 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 166.18 करोड़ हो गया। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय, बजटीय राशि ₹ 291.80 करोड़ से काफी कम था।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के ₹ 487.43 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 342.07 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के बजट ₹ 1,035.20 करोड़ के विरुद्ध जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास के लिए चालू वर्ष का बजट ₹ 380.50 करोड़ था।

1.6.2 राजस्व व्यय (आर.ई.)

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय (रा.व्य.) कुल व्यय (₹ 28,416 करोड़) का 83 प्रतिशत था। रा. व्य. वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 15,128 करोड़ से बढ़कर (55 प्रतिशत से) वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 23,472 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान रा.व्य. का सी.ए.जी.आर. 11.61 प्रतिशत था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 13.6 प्रतिशत था। जबकि, राजस्व व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में 11.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 0.3 प्रतिशत तथा स.रा.घ.उ. वर्ष 2012-13 में बढ़कर 11.8 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 में 13.9 प्रतिशत हो जाने के कारण स.रा.घ.उ. के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावकता वर्ष 2012-13 में 0.97 से घटकर वर्ष 2013-14 में 0.02 हो गया।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

वर्ष 2013-14 के दौरान योजनागत राजस्व व्यय बजट आकलन ₹ 11,926 करोड़ की तुलना में ₹ 6,288 करोड़ था। पी.आर.ई. वर्ष 2012-13 के ₹ 7,743 करोड़ से 19 प्रतिशत घटा। राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा वर्ष 2012-13 के 33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 27 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं में कमी (₹ 154 करोड़ से) एवं आर्थिक सेवाओं में कमी (₹ 1,347 करोड़ से) का सामान्य सेवाओं में आंशिक वृद्धि (₹ 46 करोड़ से) से समायोजित होने के कारण योजनागत राजस्व व्यय में कमी हुई। वर्ष 2009-14 के दौरान योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 13.73 प्रतिशत था।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

वर्ष 2013-14 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिश ₹ 16,819.45 करोड़ तथा बजट अनुमान ₹ 18,509 करोड़ के विरुद्ध गैर-योजना राजस्व व्यय ₹ 17,184 करोड़ था। गैर-योजना राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 17 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 10 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2009-14 के दौरान कुल राजस्व व्यय से गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता 64 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच दोलित रही। वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत रहा। राज्य के गैर-योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2009-14 के दौरान 10.88 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2013-14 के दौरान सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत गैर-योजना राजस्व व्यय मुख्यतः शिक्षा (₹ 2,876.19 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 604.47 करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 318.72 करोड़) तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास व शहरी विकास (₹ 300.97 करोड़) पर किया गया। आर्थिक सेवाओं के तहत गैर-योजना राजस्व व्यय मुख्यतः ऊर्जा (₹ 1,502.36 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 610.13 करोड़), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 418.62 करोड़) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 303.39 करोड़) पर किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। तालिका 1.15 तथा चार्ट 1.8 वर्ष 2009-14 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.15: वेतन और मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतान पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट आकलन	वास्तविक
वेतन* और मजदूरी, जिसमें गैर योजना शीर्ष	5342(35)	5642(30)	6352(28)	6446(26)	8668	6934(27)
योजना शीर्ष	188(1)	208(1)	202(1)	176(1)	515	168(1)
ब्याज भुगतान	2307(15)	2228(12)	2267(10)	2391(10)	2475	2614(10)
पेंशन पर व्यय	1681(11)	2081(11)	2297(10)	2931(12)	3061	3484(13)
सब्सिडी	41(0.3)	80	286(2)	270(1)	₹	187(1)
कुल	9371(62)	10031(53)	11202(50)	12054(49)	14204	13219(51)

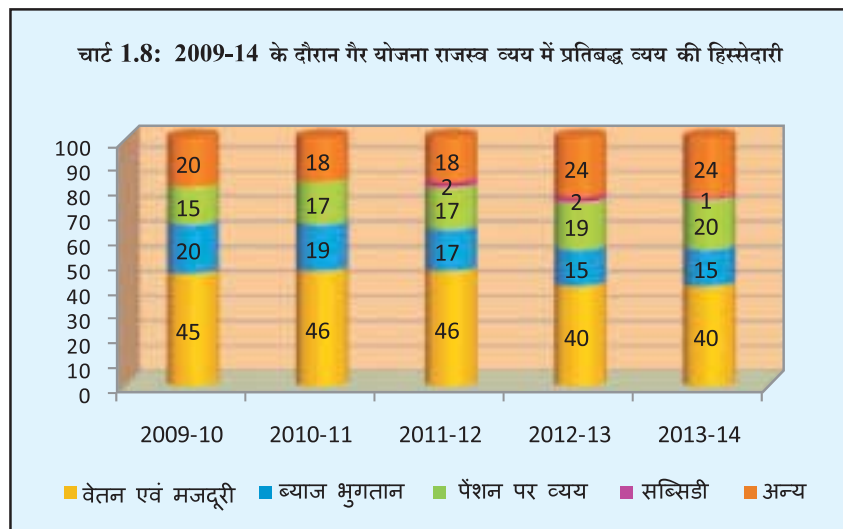
स्रोत: झारखंड सरकार के वित्त लेखे

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

* इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।

बजट अनुमान के सकल आँकड़े जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़े हैं।

₹ बजट उपलब्ध नहीं है।



वर्ष 2009-10 से वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय के सापेक्ष सब्सिडी की प्रतिशतता लगभग नगण्य रही।

वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 6,934 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,614 करोड़) और पेंशन (₹ 3,484 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत लेखापित था तथा राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के

दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर कुल गैर-योजना व्यय सम्मिलित रूप से गैर-योजना राजस्व व्यय का 75 प्रतिशत लेखापित था।

- वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी व्यय 28 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया गया। राजस्व व्यय से वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 30 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियों से वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता भी वर्ष 2012-13 के 26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 27 प्रतिशत हो गयी। वेतन एवं मजदूरी का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2009-14 के दौरान 6.74 प्रतिशत था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत वेतन पर व्यय (₹ 6,766 करोड़) में पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 496 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उक्त व्यय ते.वि.आ. के मानक अनुमान (₹ 5,881 करोड़) से ₹ 885 करोड़ अधिक रहा।

पेंशन

- पेंशन पर व्यय 19.99 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. के साथ वर्ष 2009-10 के ₹ 1,681 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 3,484 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान वृद्धि दर भी पिछले वर्ष के सापेक्ष 19 प्रतिशत था। यह वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान (₹ 3,061 करोड़) ₹ 423 करोड़ (14 प्रतिशत) अधिक था।
- भविष्य में पेंशन तथा पेंशन संबंधी लाभ के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने 01 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया है। राज्य ने नयी पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ 20 मार्च 2009 को एक करार किया।

ब्याज भुगतान

- ते.वि.आ. के ₹ 3,394 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2,614 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर नौ प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, ब्याज भुगतान वर्ष 2013-14 के दौरान 10 प्रतिशत थी। वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का सी.ए.जी.आर. 3.17 प्रतिशत था।
- वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.16 में दिए गये हैं:

तालिका 1.16: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

भुगतान किया गया ब्याज	2012-13	औसत ब्याज दर	2013-14	औसत ब्याज दर
आंतरिक ऋण	2018.33	8.50	2229.18	8.39
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	185.95	8.18	147.37	6.99
लघु बचत भविष्य निधि	186.23	12.09	235.96	15.18
अन्य	0.74	0.00	1.93	0.03
कुल	2391.25	8.67	2614.44	7.22

सब्सिडी

- वर्ष 2013-14 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ₹ 187 करोड़⁴ का भुगतान सब्सिडी के रूप में शीर्ष 2401-फसल उत्पादन (₹ 152.97 करोड़), 2403-डेयरी विकास (₹ 12.68 करोड़) तथा शीर्ष 2852-उद्योग (₹ 17.01 करोड़) के अन्तर्गत किया जो विशेष रूप से सब्सिडी हेतु उप-शीर्ष के अधीन दर्ज किए गये थे। वर्ष 2012-13 के ₹ 270 करोड़ की सब्सिडी के सापेक्ष वर्ष 2013-14 के दौरान सब्सिडी की राशि ₹ 187 करोड़ थी।
- वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे के परिशिष्ट III के अनुसार, खाद्य, ऊर्जा एवं सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई।
- सब्सिडी न केवल प्रत्यक्ष रूप से अपितु लोगों को सब्सिडी वाली लोक सेवा प्रदान करने हेतु परोक्ष रूप से भी दी जाती है। वर्ष 2013-14 के लेखाओं की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि विद्यार्थियों को ₹ 60.94 करोड़ (अनुदान सं. 51 एवं 58) साइकिल वितरण के लिए दिए गये जिसमें से ₹ 55.94 करोड़ का इस्तेमाल किया गया। पुनः जे.एस.ई.बी. को उसके संसाधन अंतर को पाटने हेतु सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1,499.96 करोड़ की राशि प्रदान की गई।

⁴ वित्त लेखे के परिशिष्ट III

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

राज्य में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कई फ्लैगशिप योजनाएँ कार्यान्वित हुई, जिसके लिए बजट में राज्य योजना (रा.यो.) तथा केन्द्रीय योजना (के.यो.) के तहत निधियाँ प्रदान की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 16,016 करोड़ का बजट बनाया गया, जिसमें से ₹ 11,169 करोड़ का उपयोग किया गया जबकि केन्द्रीय योजना हेतु किये गये बजट ₹ 2,352 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,233.96 करोड़ का उपयोग किया गया। इसमें इस प्रतिवेदन के कंडिका 1.2.2 में वर्णित, ₹ 2,601.80 करोड़ की राशि जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण को सीधा अंतरित किया गया जैसा कि शामिल नहीं है।

वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ वृहत कार्यक्रमों पर रा.यो. तथा के.यो. के अन्तर्गत हुए वास्तविक व्यय तथा बजट प्रावधान को तालिका 1.17 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.17 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1.	मुख्य सड़क	1295.00	1210.84
2.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क	556.00	502.23
3.	स्वर्ण रेखा परियोजना	1375.00	373.32
4.	मुख्य मंत्री ग्रामीण पुल योजना	477.90	370.72
5.	मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना	360.74	313.76
केन्द्रीय योजना			
1.	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम	738.48	461.66
2.	समन्वित शिशु विकास कार्यक्रम	224.84	143.82
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	111.55	67.75

जैसा कि तालिका 1.17 से स्पष्ट है कि सुवर्ण रेखा योजना पर व्यय (₹ 373.32 करोड़) इस योजना के लिए उपलब्ध कराई गई कुल बजट (₹ 1,375 करोड़) का केवल 27 प्रतिशत था। मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) योजना के विभिन्न अवयवों पर कम व्यय के कारण, प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पर व्यय (₹ 461.66 करोड़) भी बजट आकलन के ₹ 738.48 करोड़ के साक्षेप काफी कम था।

1.6.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.18 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.18 : स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पी.आर.आई.)	-	875.69	581.06	3078.86	910.68
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	485.14	246.15	25.34	330.54	88.38
सार्वजनिक उपक्रम	602.64	491.55	777.00	450.02	1528.89
स्वायत्त निकाय	678.31	607.55	677.85	1837.02	2451.34
गैर-सरकारी संस्थाएँ	17.87	192.43	209.68	199.40	106.65
अन्य	548.98	708.34	2259.30	1054.48	1335.91
कुल	2332.94	3121.71	4530.23	6950.32	6421.85
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	15.42	17.31	21.58	29.70	27.36

स्रोत: वित्त लेख के विवरणी आठ

स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता भी वर्ष 2009-10 के ₹ 2,332.94 करोड़ से निरन्तर बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6,950.32 करोड़ हो गया जो वर्ष 2013-14 में घटकर ₹ 6,421.85 करोड़ हो गया। 2009-14 के दौरान वित्तीय सहायता की वृद्धि दर (-) आठ प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत के बीच दोलित रहा। यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट शीर्ष 3604 - यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया पी.आर.आई. एवं यू.एल.बी. को दी गई सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय के लेखों के अंतर्गत लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अंतर्गत पंचायती राज संस्था एवं शहरी स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराई गई राशि (₹ 597 करोड़) शामिल नहीं है।

1.6.6 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और निधियों का हस्तांतरण

स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यो यथा- नगर योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामे किया जाना था।

पुनः ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को अनुदान, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को अनुदान और 193-नगर पंचायतों को अनुदान के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम, 2011 में समाविष्ट सभी 18 कार्यों को फरवरी 2012 में सौंपा जिसे **परिशिष्ट 1.6 भाग ए** में दर्शाया गया है। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी. (नगर निगम-3, नगर परिषद-14, नगर पंचायत-19, नगर पालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) हैं।

तालिका 1.19 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान यू.एल.बी. को ₹ 1,175 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 2009-12 के दौरान यू.एल.बी. के वित्तीय सहायता में अनवरत कमी आई। तथापि, यह वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 331 करोड़ बढ़ा जो पुनः 2013-14 में घटकर ₹ 88 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः कौशल विकास एवं क्षमता वर्धन हेतु यू.एल.बी. को नागरिक सुविधाएँ, शहरी यातायात संयंत्र इत्यादि के लिए सहायता का विमुक्त नहीं होने के कारण हुआ।

यू.एल.बी को उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 1.19: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	15118	18781	22420	24770	26137	107226
राज्य का राजस्व व्यय (रा. व्यय)	15128	17945	20992	23400	23472	100937
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	485	246	25	331	88	1175
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता का प्रतिशत	3.21	1.31	0.11	1.34	0.34	1.10
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	3.21	1.37	0.12	1.41	0.37	1.16
स्वयं के संग्रह ⁵	-	3.23	18.84	-	-	22.07

⁵ अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग को नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों (वर्ष 2010-11 : नगर पंचायतें - वासुकीनाथ, चास, गुमला, खूँटी, सिमडेगा और नगरपालिका परिषद् लोहरदगा तथा वर्ष 2011-12 नगर पंचायतें - विश्रामपुर, चकुलिया, कोडरमा, राजमहल, नगरपालिका - जुगसलाई और रॉची नगर निगम) के लेखापरीक्षा के दौरान उद्भेदित हुआ कि इस अवधि के दौरान ₹ 22.07 करोड़ एकत्रित किए गए।

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2014 तक स्थानीय शहरी निकायों को राशि सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। पुनः स्थानीय निकायों को कार्यों तथा निधियों के हस्तांतरण से संबंधित सूचना नगर विकास विभाग से माँगी गयी थी (सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2013)। सरकार का जवाब अप्राप्त है (अक्टूबर 2014)।

झारखण्ड में, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन का कार्यभार (टी.जी.एस.) अक्टूबर, 2011 में सौंपा है। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित किया गया जिसके तहत राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्रावधान अंतर्निहित है जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन व दिशानिर्देश दिया जाना था। राज्य सरकार ने डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए 22 पदों का सृजन (मार्च 2013) किया परन्तु डी.एल.एफ.ए. को अभी तक परिचालित नहीं किया गया है और लेखापरीक्षक- स्थानीय लेखा (ई.एल.ए.) द्वारा अप्रैल 2012 से तकनीकी मार्गदर्शन व दिशानिर्देश के अनुसार जाँच परीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, लघु-शीर्ष 196-जिला परिषद् को सहायता, 197-प्रखंड पंचायत को सहायता और 198-ग्राम पंचायत को सहायता के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमुक्त निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मद्दों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4,706 पंचायती राज संस्थाएँ⁶ हैं। **तालिका 1.20** के अनुसार, वर्ष 2009-10 तक सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को कोई अनुदान नहीं दिया। विदित हो कि पी.आर.आई. का गठन दिसम्बर 2010 में चुनाव के पश्चात हुआ। वर्ष 2010-14 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 5,447 करोड़ का भुगतान किया गया जो निम्नवत है:

⁶ 24 जिला परिषद, 259 पंचायत समिति, 4423 ग्राम पंचायत

तालिका 1.20 पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	15118	18781	22420	24770	26137	107226
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्यय)	15128	17945	20992	23400	23472	100937
पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता*	-	876	581	3079	911	5447
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	-	4.66	2.59	1.96	3.49	5.08
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	-	4.88	2.77	2.08	3.88	5.40
स्वयं संग्रह **	-	-	-	-	-	-

*पी.आर.आई. का चुनाव दिसम्बर 2010 में हुआ था।

**राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2014 तक पी.आर.आई. निधि प्रदान करने संबंधी कोई सुझाव नहीं दिया था। राज्य सरकार पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश अक्टूबर 2012 में जारी किया। जैसा कि **परिशिष्ट 1.6 भाग बी** में वर्णित है, पी.आर.आई. को कुल अनुबद्ध 29 कार्यों में से अक्टूबर 2014 तक 10 कार्य सम्पूर्ण रूप से सुपुर्द किया गया एवं पाँच कार्य आंशिक रूप सुपुर्द किए गए हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2010 अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा तदनुसार पंचायती राज संस्थानों का लेखांकन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा अभी तक ई.एल.ए. द्वारा की जाती है (अक्टूबर 2014)।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मुख्यतः तीन पहलू यथा-पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित हैं।

राज्य के कुल व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान 15.8 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 के दौरान 0.7 प्रतिशत था।

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय में विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) 64 प्रतिशत था, जबकि गैर-विकास व्यय 36 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान विकास व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष पाँच प्रतिशत घटी, जबकि गैर-विकास व्यय

में पिछले वर्ष के सापेक्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न की जाती है यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम है। वर्ष 2010-11 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में तालिका 1.21 राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.21: वर्ष 2010-11 और वर्ष 2013-14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई.##/ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2010-2011	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2010-2011	16.43	65.53	31.03	12.74	18.12	5.09
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2013-14	16.45	64.31	32.23	16.62	13.42	4.02

* स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

ए.ई.: सकल व्यय (कुल व्यय), डी.ई.: विकास पर व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय

विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूँजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित अग्रिम सम्मिलित हैं।

स्रोत: स.रा.घ.उ. के आँकड़े सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का वेबसाइट।

सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2013-14 में झारखण्ड सरकार ने सकल व्यय पर अपने स.रा.घ.उ. का एक बड़ा भाग खर्च किया।

झारखण्ड में सकल व्यय के अनुपात में विकास पर व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से वर्ष 2010-11 के दौरान अधिक एवं 2013-14 के दौरान कम था जबकि पूँजीगत व्यय से सकल व्यय का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से वर्ष 2010-11 के दौरान कम एवं वर्ष 2013-14 के दौरान अधिक था।

वर्ष 2013-14 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी गयी।

1.7.2 व्यय के इस्तेमाल की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्ष पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय हेतु बुद्धिसंगत मापदंड को अपनाया जाय और कोर पब्लिक गुड्स⁷ के प्रावधान पर जोर दिया जाय।

विकास व्यय⁸ हेतु आबंटन के अलावा कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे समानुपातिक राजस्व व्यय के उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी बेहतर होगी।

तालिका 1.22 वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास योजनाओं की प्रवृत्ति के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.22: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास पर राजस्व व्यय	8523(47)	10954(52)	13146(54)	14704(52)	20564	13512(48)
विकास पर पूँजीगत व्यय	2591(14)	2544(12)	3003(12)	4042(14)	6234	4554(16)
विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	308(2)	296(1)	199(1)	582(2)	813	209(1)
कुल	11422	13794	16348	19328	27611	18275
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्य+पू. व्य+ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़े है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

⁷ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे:- कानून और आदेश का प्रवर्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि।

⁸ व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्चयित है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किए गए हैं। हमारे आँकड़ों में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय में शामिल हैं जबकि सामान्य सेवाएँ गैर विकासात्मक व्यय हैं।

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिमों सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय शामिल है। मुख्यतः राजस्व शीर्ष के अंतर्गत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति और ग्रामीण विकास तथा पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास मद में कम व्यय के कारण वर्ष 2013-14 में विकास परक व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा पाँच प्रतिशत घट गया।
- उपरोक्त तालिका 1.22 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान कुल विकास व्यय बजट आकलन से काफी कम था। सामान्य सेवाओं (गैर-विकास) पर व्यय इस वर्ष के ₹ 10,103 करोड़ के बजट के सापेक्ष ₹ 10,141 करोड़ था।
- वर्ष 2009-14 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2009-14 के दौरान विकास राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 12.21 प्रतिशत था।
- कुल व्यय में विकासपरक पूँजीगत व्यय (विकासपरक ऋण एवं अग्रिम सहित) का हिस्सा वर्ष 2012-13 के दौरान 16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 17 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2009-14 के दौरान विकासपरक पूँजीगत व्यय का सी.ए.जी.आर. 15.14 प्रतिशत था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक विकासपरक पूँजीगत व्यय एवं विकासपरक ऋण एवं अग्रिम बजट आकलन के ₹ 6,234 करोड़ एवं ₹ 813 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4,554 करोड़ एवं ₹ 209 करोड़ था।
- वर्ष 2013-14 दौरान कुल विकासपरक व्यय (₹ 18,275 करोड़) में सामाजिक सेवाओं पर व्यय (₹ 9,159 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय (₹ 9,116 करोड़) प्रत्येक 50 प्रतिशत था।

चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में किया गया व्यय

तालिका 1.23 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हुए पूँजीगत व्यय के ब्यौरे तथा राजस्व व्यय के घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

समाजिक/आर्थिक ढाँचा	2012-13			2013-14		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर. ई. में, हिस्सा		टी.ई. से सी.इ. का अनुपात	आर. ई में, हिस्सा	
		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवार्यें (एस. एस.)						
सामान्य शिक्षा	0.86	47.35	0.00	2.05	54.98	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.38	57.50	0.02	14.52	51.89	0.13
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	43.14	19.16	3.66	32.51	18.03	2.82
कुल (एस.एस)	11.03	34.49	0.35	10.09	35.92	0.52
आर्थिक सेवार्यें (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	1.59	32.92	0.03	1.52	37.74	0.31
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	67.78	97.76	0.00	59.89	98.03	0.00
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिवहन	67.43	12.83	35.41	88.78	39.68	51.98
कुल (ई.एस.)	32.02	16.34	3.24	39.82	22.14	4.34
कुल (एस.एस.+ई.एस.)	23.93	26.60	1.60	24.92	30.52	2.02
टी.ई.: उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई.: पूँजीगत व्यय; आर. ई.: राजस्व व्यय; एस. और डब्लू: वेतन एवं मजदूरी; ओ.और एम.: संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- कुल विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता के रूप में विकासात्मक पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के 23.93 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में 24.92 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में वेतन घटक वर्ष 2012-13 के 34.49 प्रतिशत एवं 16.34 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में क्रमशः 35.92 प्रतिशत एवं 22.14 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष '05-सार्वजनिक सम्पत्ति के रख-रखाव के लिए अनुरक्षण एवं मरम्मत' के अन्तर्गत ₹ 324.60 करोड़ का व्यय किया।
- सामाजिक सेवाओं में, राजस्व व्यय के अंतर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास मद के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 के 3.66 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 2.82 प्रतिशत हुआ।

- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में परिवहन मद के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 के 35.41 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 51.98 प्रतिशत हुआ।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम के उत्तरवर्ती रूप रेखा में, राज्य से न हीं केवल राजकोषीय घाटे (और उधार) को निम्न स्तर पर रखने बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सहित) की आवश्यकता को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में बदलाव के राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और अस्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निवेश और सरकार द्वारा किये गये अन्य पूँजीगत व्यय के व्यापक वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.8.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX (i) में प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे 2013-14 के परिशिष्ट-IX (i) के अनुसार राज्य में कोई व्यावसायिक सिंचाई परियोजना नहीं है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2014 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.24 में दी गयी है।

तालिका 1.24 : अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की सं.	आरंभिक अनुमानित लागत	चालू वर्ष के दौरान व्यय	31.3.2014 का समुच्चयित कुल व्यय
पथ निर्माण विभाग	119	548.90	97.32	255.27
पेयजल एवं स्वच्छता	9	33.06	6.16	32.97
जल संसाधन	13	183.57	5.50	211.49
लघु सिंचाई	26	47.72	11.17	69.56
भवन निर्माण	161	437.25	94.91	190.82
कुल	328	1250.50	215.06	760.11

स्रोत: वित्त लेखे 2013-14 की परिशिष्टX

अपूर्ण कार्य पर निधियों को अवरोधित करना व्यय के गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपरोक्त तालिका के सभी अपूर्ण 328 परियोजनायें (अनुमानित खर्च ₹ 12,50.50 करोड़) 31 मार्च 2014 तक समाप्त किये जाने थे, जो नहीं किये जा सके। फलतः ₹ 760.11 करोड़ अवरोधित रहा। परियोजना कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से खर्च बढ़ने का डर रहता है। साथ ही, इन परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाले विलम्ब के कारण उनसे इच्छित फल भी प्राप्त नहीं हो पाता। अतः परियोजना कार्यों को समय से निष्पादित किया जाना आवश्यक है ताकी खर्च के अधिभार से बचा जा सके।

1.8.3 निवेश एवं वापसी

नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2014 तक सरकार ने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 11 सरकारी कम्पनियाँ (₹ 75.30 करोड़) एवं 17 सहकारी, कॉरपोरेशन एवं समितियों में (₹ 110.94 करोड़) कुल ₹ 231.97 करोड़ का निवेश किया (तालिका 1.25)। निवेश से वापसी (लाभांश) वर्ष 2012-13 के ₹ 15 करोड़ (7.99 प्रतिशत) के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में ₹ 18 करोड़ (7.76 प्रतिशत) था। सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान 7.22 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.25: निवेशों पर लाभांश

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	128.73	135.18	182.57	187.82	231.97
लाभांश (₹ करोड़ में)	शून्य	0.40	1.17	15.00	18.00
लाभांश (प्रतिशत में)	शून्य	0.3	0.64	7.99	7.76
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	8.03	7.98	7.64	8.76	7.22
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (प्रतिशत में)	8.03	7.68	7.00	0.77	0.54

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 14

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 44.15 करोड़ (23 प्रतिशत) का निवेश मुख्यतः सरकारी कम्पनियों में (₹ 43.75 करोड़) किया गया।

पुनः 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थाओं के साथ साथ सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किये गये निवेशों को बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अलावे, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2014 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान बकाए ऋण एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्ति के साथ-साथ ब्याज भुगतान को तालिका 1.26 प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.26 : राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

अग्रिम / ब्याज प्राप्ति / उधार की लागतों की प्रमात्रा	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋणों का आरंभिक शेष	6415	6713	6997	7190	7748
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि	320	308	217	601	222
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतित राशि	22	24	24	43	23
बकाया ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत के रूप में पुनर्भुगतान	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3
अंतशेष	6713	6997	7190	7748	7947
निवल योग	298	284	193	558	199
कुल ब्याज प्राप्ति	7.64	7.26	2.12	0.95	2.74
बकाया ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.12	0.12	*	0.01	0.03

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

* नगण्य

- राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम के रूप में दी गई ऋणों की प्रमात्रा वर्ष 2009-10 के ₹ 320 करोड़ से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 217 करोड़ हो गयी तथापि वर्ष 2013-14 में मुख्यतः उर्जा परियोजनाओं के अन्तर्गत कम ऋण मुक्त करने के कारण (₹ 366 करोड़) बढ़कर ₹ 222 करोड़ हो गयी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम में पिछले वर्ष की तुलना में 2.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2014 के अंत तक कुल बकाया ऋण ₹ 7,947 करोड़ में से प्रमुख बकाया राशि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) एवं शहरी स्थानीय निकाय (₹ 565 करोड़) के पास था।
- 31 मार्च 2014 तक कुल ₹ 1,158.70 करोड़ (₹ 360.98 करोड़ मूलधन एवं ₹ 797.72 करोड़ का ब्याज) के ऋण एवं अग्रिम की वसूली किया जाना अतिदेय था।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2014 को
रोकड़ शेष	704.75*	1285.49
रोकड़ शेष से निवेश (अ से स)	746.57	851.84
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	742.16	847.43
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	4.41	4.41
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	71.27	66.74
रिजर्व बैंक में जमा	(-)56.50	428.21
विभागीय रोकड़ शेष	14.68	5.44

*31 मार्च 2013 तक भा. रि. बैं. के पास ऋणात्मक शेष होने के कारण रोकड़ शेष निवेश से कम था।

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के ₹ 704.75 करोड़ के रोकड़ शेष के सापेक्ष 31 मार्च 2014 के अंत तक राज्य का रोकड़ शेष ₹ 1,285.49 करोड़ था।

मार्च 2013 के अंत में ₹ 746.57 करोड़ के रोकड़ शेष निवेश के सापेक्ष मार्च 2014 के अंत में सरकार का रोकड़ शेष निवेश ₹ 851.84 करोड़ था। कुल रोकड़ शेष निवेश ₹ 851.84 करोड़ में से वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 847.43 करोड़ का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्र में किया गया।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा 31 मार्च 2014 तक का तैयार लेखा के आधार पर भा.रि.बैं. के पास ₹ 428.21 करोड़ (डेबिट) का रोकड़ शेष उपलब्ध था। तथापि, भा.रि.बैं. द्वारा सूचित 31 मार्च 2014 तक का रोकड़ शेष ₹ 358.25 करोड़ (क्रेडिट) था।

वर्ष 2013-14 के दौरान भा.रि.बैं. में न्यूनतम शेष बनाये रखने के लिए राज्य सरकार को आठ दिनों का सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा।

1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

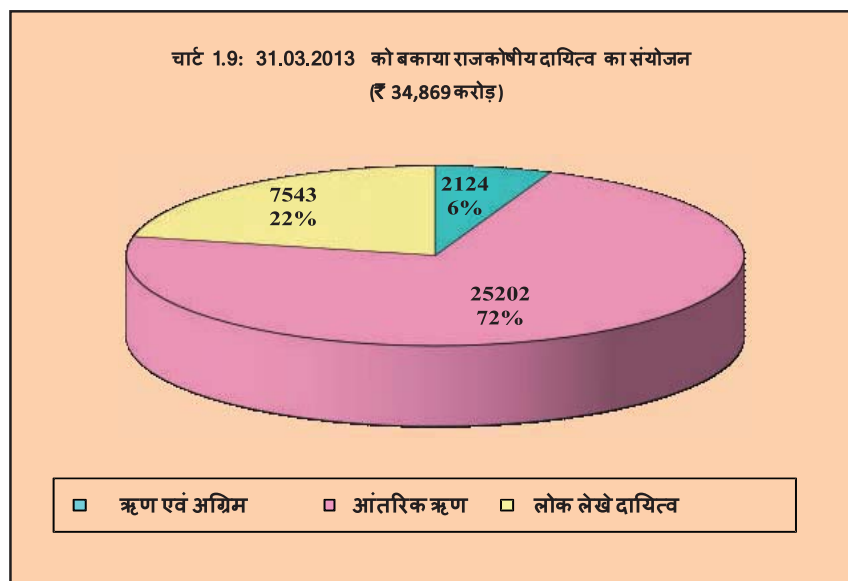
सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में, सरकार द्वारा अधिकृत परिसम्पत्तियों अर्थात् भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अभिगृहीत

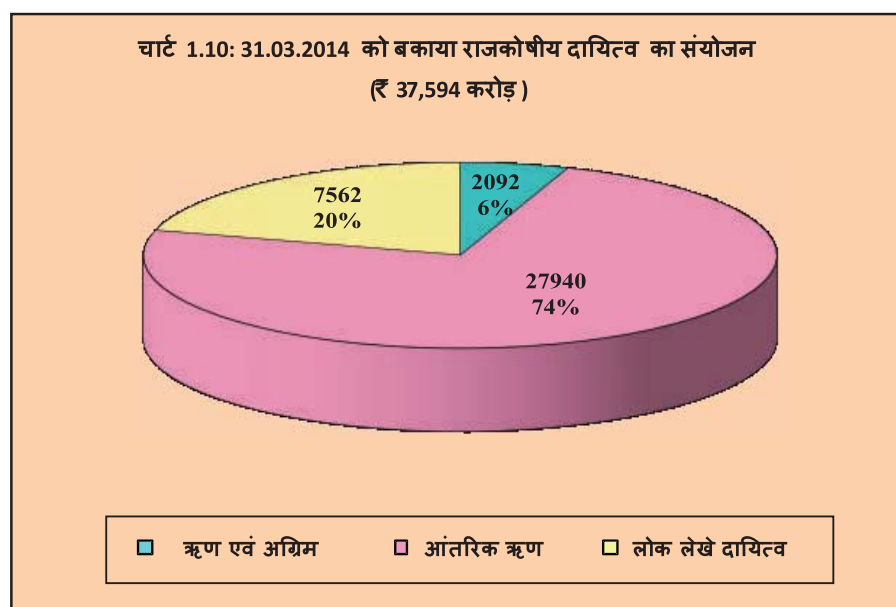
करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 भाग-बी** 31 मार्च 2014 को उन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2013 की तदनुसूची स्थिति के साथ इनकी तुलना को प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि शामिल है, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 राज्य की संचित निधि और लोक लेखा जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचत का लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है, के अन्तर्गत दायित्वों के रूप में राज्य के कुल दायित्वों को परिभाषित करता है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.3** में दर्शायी गई है। तथापि वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन को क्रमशः **चार्ट 1.9** एवं **चार्ट 1.10** में प्रस्तुत किया गया है।





तालिका 1.28 : राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति: आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आंतरिक ऋण	19880	21131	22286	25202	27940
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2272	2167	2024	2124	2092
लोक लेखे दायित्व	5013	5357	6354	7543	7562
कुल राजकोषीय दायित्व	27165	28655	30664	34869	37594
कुल दायित्वों में वृद्धि	12.8	5.5	7.0	13.7	7.8
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व	27.0	22.5	22.6	23.0	21.8

- जैसा कि तालिका 1.28 दर्शाया गया है, वर्ष 2009-10 के ₹ 27,165 करोड़ का समग्र राजकोषीय दायित्व (रा.दा.) 38.39 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में ₹ 37,594 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्व का वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 13.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 7.8 प्रतिशत था। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान राजकोषीय दायित्व का सी.ए.जी.आर. 8.46 प्रतिशत था।
- राज्य के राजकोषीय दायित्व में ₹ 591.56 करोड़ का आरक्षित निधि (राज्य आपदा आरक्षित निधि) के रूप में शामिल था।
- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात वर्ष 2009-10 के 27 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2013-14 में 21.8 प्रतिशत हो गया।

- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य की संचित निधि और लोक लेखा से अलग सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हेतु एक हास निधि, जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) इत्यादि के दायित्व शामिल हैं, को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तथापि, सितम्बर 2014 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक (अक्टूबर 2014) नहीं किया गया।

1.9.3 ऋणों एवं अग्रिमों के वापसी का संदेहास्पद होने के कारण राज्य की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति

31 मार्च 2014 तक सरकार द्वारा दिये गए कुल ऋण एवं अग्रिमों की राशि ₹ 7,946.44 करोड़ में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) के विरुद्ध बकाया ₹ 7,239.75 करोड़ भी शामिल था।

हमने देखा कि 31 मार्च 2014 तक कुल ऋण एवं अग्रिमों की शेष राशि ₹ 7,946.44 करोड़ थी जिसमें बकाया पुनर्भुगतान ₹ 1,158.70 करोड़ था। बकाया पुनर्भुगतान में ₹ 812.07 करोड़ झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) से संबंधित था। जे.एस.ई.बी. स्थापना के वर्ष से घाटे में था तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किये गए अंतिम लेखे के अनुसार, उसका संचित घाटा ₹ 10,165 करोड़ था। आगे, जे.एस.ई.बी. को जनवरी 2014 में चार पावर कम्पनियों के समूह में बाँट दिया गया। जबकि, झारखण्ड राज्य सुधार स्थानांतरण योजना 2013 के अनुसार जे.एस.ई.बी. से वसूली योग्य राज्य सरकार के बकाये ऋण एवं अग्रिम को राज्य सरकार के खाते में जे.एस.ई.बी. द्वारा वसूली योग्य दर्शाया जाएगा।

चूँकि जे.एस.ई.बी. ने ऋण आदायगी में चूक किया है एवं जनवरी 2014 में विभाजन के पूर्व भारी घाटे में चल रहा था, इसलिए राज्य की परिसम्पत्तियों में जे.एस.ई.बी. को दिये गए ऋण के कारण ₹ 7,239.75 करोड़ की अत्योक्ति हुई।

इस विषय को सरकार को सूचित किया गया (अगस्त 2014) लेकिन अक्टूबर 2014 तक कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ।

1.9.4 संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर सरकार ने वर्ष 2010-11 में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया तत्पश्चात् प्राकृतिक आपदा राहत निधि से शेष राशि एस.डी.आर.एफ. में अंतरित कर दी गई।

वर्ष 2013-14 के दौरान एस.डी.आर.एफ. में प्रारंभिक शेष ₹ 316.20 करोड़ था। वर्ष के दौरान निधि से प्राप्त एवं संवितरण क्रमशः ₹ 296.66 करोड़ एवं ₹ 21.29 करोड़ था जिससे मार्च 2014 तक अंतिम शेष ₹ 591.56 करोड़ हो गया।

1.9.5 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

उधार प्राप्तकर्ता, जिसके लिये प्रत्याभूति दिया गया है, द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान में प्रावधान है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की अभिरक्षा पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकता है और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है। तथापि, झारखण्ड राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया और राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा पर प्रत्याभूति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई।

वित्त लेख के विवरण-9 के अनुसार मार्च 2014 तक ₹ 157.15 करोड़ का बकाया प्रत्याभूति (गारंटी) था। वर्ष 2013-14 के दौरान कोई प्रत्याभूति न ही दी गई और न ही वापस ली गई।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूप रेखा

राज्य सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता⁹ को निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ऋण स्थिरीकरण¹⁰,

⁹ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के ननिर्वहन के लिए नगद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

¹⁰ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर व्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फैलाव (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-व्याज दर) और प्रमात्रा फैलाव (ऋण*दर फैलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवतः सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फैलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात संभवतः गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता¹¹, उधार लिए गये निधियों की निबल उपलब्धता¹², ब्याज भुगतान का भार (के साथ राजस्व प्राप्ति अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रत्याभूति की परिपक्वता की रूप रेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.29 वर्ष 2009-10 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.29 : ऋण धारणीयता : संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्रथमिक घाटा)*	(+)647	(+)5145	(+)30	(+)373	(+)2698
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) *	103	899	188	(-)39	1275
उधार निधि की निबल उपलब्धता	773	(-)737	(-)238	1814	110
ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात	27.0	22.5	22.6	23.0	21.8
ब्याज भुगतान का बोझ (आइ.पी./आर.आर. अनुपात)	15	12	10	10	10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	1183(5)	1868(8)	1449(6)	1381(5)	1453(5)
1 - 3	2885(13)	2977(13)	3080(13)	3031(11)	2916(10)
3 - 5	3263(15)	2872(12)	2623(11)	3358(12)	4373(14)
5 - 7	2569(12)	3284(14)	4302(17)	5009(19)	4160(14)
7 और आगे	12252(55)	12298(53)	12856(53)	14547(53)	17131(57)
कुल	22152	23299	24310	27326	30033

कोष्ठक में कुल से प्रतिशतता को दिखाया गया है।

* फार्मूला परिशिष्ट 1.2 में है।

- जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर 6.55 प्रतिशत से 14.61 प्रतिशत के बीच दोलित रहने के कारण वर्ष 2009-14 के दौरान प्राथमिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार ₹ 30 करोड़ से ₹ 5,145 करोड़ के बीच दोलित था।

¹¹ बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

¹² कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निबल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।

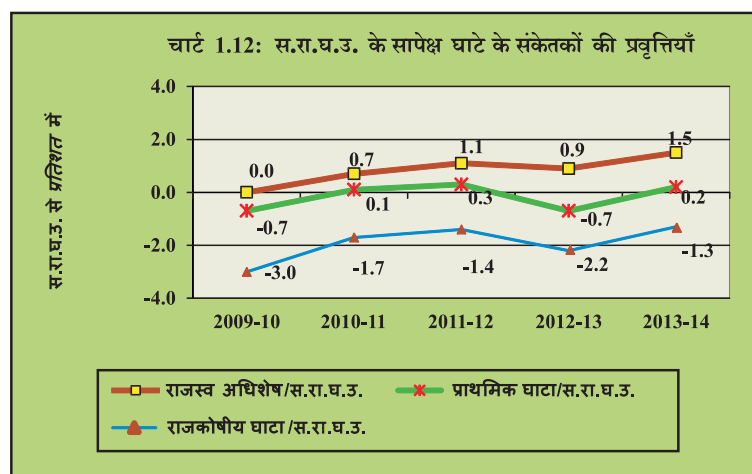
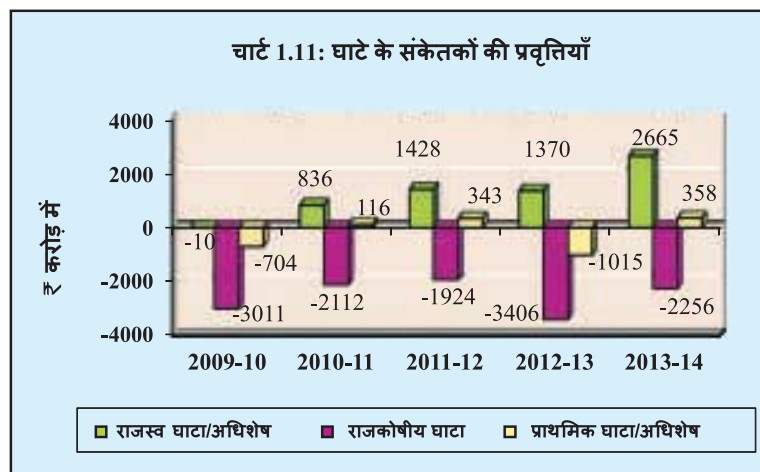
- वर्ष 2013-14 के दौरान, ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात 21.8 प्रतिशत था जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (25 प्रतिशत) एवं ते.वि.आ. द्वारा तय किये गये मानक (27.8 प्रतिशत) से कम था। वर्ष 2012-13 के ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 23 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान यह कम था।
- गैर ऋण प्राप्तियों में बढ़ोतरी की उपलब्धता (संसाधन अंतराल) में वर्ष 2009-14 के दौरान अंतर-वर्षीय दोलन हुआ। यहाँ 2012-13 में (-) ₹ 39 करोड़ से वर्ष 2013-14 में बढ़कर ₹ 1,275 करोड़ हो गयी जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का घटक है।
- कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2012-13 के ₹ 1,814 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 110 करोड़ रह गया। तथापि, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान संसाधन अंतराल ऋणात्मक (क्रमशः ₹ 737 करोड़ एवं ₹ 238 करोड़) था।
- राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान के अनुपात के कारण ऋण स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2009-10 के 15 प्रतिशत से स्थिरतापूर्वक घटकर वर्ष 2011-12 में 10 प्रतिशत हो गयी। तथापि, वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान यह स्थिर रहा।
- राज्य-ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा के अनुसार ऋण दायित्व प्रत्येक अवधि खंड के लिए बढ़ रही थी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा - किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को बतलाती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीय प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण व तरीके तथा राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं चार्ट 1.12, वर्ष 2009-14 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



- वर्ष 2009-10 के ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटे को छोड़कर, वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। तथापि राजस्व अधिशेष वर्ष 2010-11 में ₹ 836 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,665 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2009-10 राजस्व घाटा ₹ 10 करोड़ को छोड़कर राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं ते.वि.आ. द्वारा लक्षित 'शून्य' राजस्व घाटे को वर्ष 2009-14 के अन्त तक पूरा कर लिया था। तथापि, 2013-14 के दौरान स.रा.घ.उ. से राजस्व अधिशेष का अनुपात एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये लक्ष्य 1.80 प्रतिशत के सापेक्ष 1.5 प्रतिशत था।

- वर्ष 2009-14 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 1,924 करोड़ एवं ₹ 3,406 करोड़ के बीच दोलीत था। तथापि राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2012-13 के ₹ 3,406 करोड़ से क्रमिक रूप से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,256 करोड़ हो गया।
- अन्तरवर्षीय दोलन के उपरान्त स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता मार्च 2010 के अंत तक तीन *प्रतिशत* से घटकर मार्च 2014 के अंत तक 1.3 *प्रतिशत* हो गया। स.रा.घ.उ. से राजस्व घाटा की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के लिए एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये 1.3 *प्रतिशत* के अनुमान के समतुल्य थी। यह ते.वि.आ. के तीन *प्रतिशत* की सिफारिश के भी अंदर था।
- मुख्य रूप से राजस्व घाटा/अधिशेष में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2009-14 के दौरान प्राथमिक घाटा में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। प्राथमिक घाटा वर्ष 2009-10 में ₹ 704 करोड़ से बदलकर 2013-14 में ₹ 358 करोड़ प्राथमिक अधिशेष हो गया।
- वर्ष 2013-14 के एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 0.50 *प्रतिशत* के सापेक्ष प्राथमिक अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.20 *प्रतिशत* था।

1.11.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप

वित्तीय घाटे के वित्त पोषण का स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा की तालिका 1.30 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.30: वित्तीय घाटे के अवयव एवं वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
	वित्तीय घाटे का बिखराव	3011	2112	1924	3406	2256		
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	(-)10	836	1428	1370	2665		
2	निवल पूँजीगत व्यय	2703	2664	3159	4218	4722		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	298	284	193	558	199		
	राजकोषीय घाटे वित्त पोषण का स्वरूप*					प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	1674	198	785	3145	2950	414	2535
2	भारत सरकार से ऋण	(-)133	(-)104	(-)122	100	106	139	-33
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूति	670	957	(-)73	(-)200	300	429	129
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-)32	96	442	(-)30	1331	876	455
5	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	273	104	70	22	760	751	9
6	आरक्षित निधि	313	(-)223	(-)105	(-)123	293	21	271
7	जमा एवं अग्रिम	273	464	1030	1290	7204	7458	-254
8	उचंत एवं विविध	132	(-)27	74	31	-59	-58	-1

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
9	प्रेषण	(-)39	6	(-)17	(-)141	6077	5920	157
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0	0	(-)76	(-)100	0	50	-50
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/कमी(-)	120	(-)641	117	588	705	1285	580

* वर्ष 2013-14 को छोड़कर ये सभी अंक सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,256 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 2,535 करोड़) एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 455 करोड़) से किया गया।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) को पूर्ण करना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, वहाँ राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुनः यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय¹³ का वहन कर सकें तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का विभाजन इंगित करता है कि पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है। तथ्यों का विभाजन तालिका 1.31 में दिया गया है।

तालिका 1.31: राज्य में प्राथमिक घाटा/अधिशेष - तथ्यों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा(-)/अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	15140	12821	2703	320	15844	(+)2319	(-)704
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+)116
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343
2012-13	24813	21009	4218	601	25828	(+)3804	(-)1015
2013-14	26160	20858	4722	222	25802	(+)5302	(+)358

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राथमिक व्यय एवं प्राथमिक राजस्व व्यय में बढ़ोतरी के विरुद्ध राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 15,140 करोड़ से

¹³ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम।

बढ़कर ₹ 26,160 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय वर्ष 2009 के दौरान ₹ 2,703 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 4,722 करोड़ हो गया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से पाँच प्रतिशत बढ़ी जबकि प्राथमिक व्यय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 लगभग बराबर रहा जिसके कारण 2012-13 के प्राथमिक घाटा ₹ 1,015 करोड़ के विरुद्ध 2013-14 में ₹ 358 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष हो गया।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि उस वर्ष के तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 14.5 प्रतिशत के विरुद्ध 13.9 प्रतिशत था।

सरकार को ते.वि.आ. के मानकों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

- राज्य के पास वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,665 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 2,256 करोड़ था। यह स.रा.घ.उ. 1.3 प्रतिशत था, जो ते.वि.आ. द्वारा की गई अनुशंसित की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था। आगे राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. के अनुपात 2012-13 में 2.2 से सुधरते हुए 2013-14 में 1.3 प्रतिशत हो गया।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का अंतरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 2,601.80 करोड़ की केन्द्रीय निधि राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधा अंतरित कर दिया गया। बजट के बाहर भारत सरकार से निधियों का राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधा अंतरण के कारण वार्षिक लेखे राज्य के साधनों का सम्पूर्ण परिदृश्य उपलब्ध नहीं कराता है।

राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशियों के अनुप्रयोग के उचित लेखांकन एवं अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

संसाधनों का संचरण

- जहाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 26,137 करोड़) वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा 5.5 प्रतिशत बढ़ी, वहाँ यह बजट आकलन (₹ 7,462 करोड़) से कम था।

सरकार के बजट दस्तावेजों में प्राप्तियों हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य के सकल व्यय से सामाजिक क्षेत्र के व्यय का अनुपात सामान्य कोटि के राज्यों के औसत से कम था।
- पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) वर्ष 2012-13 में ₹ 4,218 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में ₹ 4,722 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के सापेक्ष शिक्षा क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में कमी आई। राज्य सरकार ने अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को कम प्राथमिकता दिया।

सरकार को शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देते हुए सामाजिक क्षेत्र के व्यय को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। जिससे यह सामान्य कोटि के राज्यों के समतुल्य हो सके।

- प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को एक बड़ी राशि ऋण स्वरूप दी जाती है लेकिन इसकी वापसी नगन्य रहती है जिसके कारण मार्च 2014 तक ₹ 1,158.70 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान बकाया था।

सरकार से प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले संस्थाओं/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली हेतु सरकार को कदम उठाना चाहिए।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 37,594 करोड़) पिछले वर्ष से 7.8 प्रतिशत बढ़ा। राजकोषीय दायित्व, स.रा.घ.उ. का 21.8 प्रतिशत था जो ते.वि.आ.की अनुशंसा 27.3 प्रतिशत के अंदर था। सरकार ने सभी ऋणों के परिशोधन के लिए हास निधि (सिकिंग फण्ड) का गठन नहीं किया है।

सरकार को ऋणों के परिशोधन के लिए हास निधि का गठन करना चाहिए।